यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत** के माह 05/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25-10-2018 से 29-10-2018. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय एवं श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 22/05/2015 से 26/05/2015 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था जिसमें माह 05/2003 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत का मुख्य कार्यकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद चम्पावत के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) ₹**	**बचत (-) ₹**
	स्थापना ₹	**गैर स्थापना**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**		
2015-16	शून्य	शून्य	75.35	63.20	18.85	16.98		14.02
2016-17	शून्य	शून्य	83.67	78.09	52.00	38.05		19.53
2017-18	शून्य	शून्य	93.57	90.84	164.60	133.88		33.45
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	82.68	46.42	80.65	41.76		75.15

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत शासन स्तर से प्राप्त किए जाते हैं । विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. आयुक्त 3. अपर आयुक्त 4. संयुक्त आयुक्त 5. उपायुक्त 6. जिला पूर्ति अधिकारी 7. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 8. पूर्ति निरीक्षक 9. लेखाकार आदि

(IV)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 01 : विभागीय उदासीनता के कारण योजना की धनराशि रूपये 2.30 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा ब्याज की धनराशि रूपये 24.49 लाख शासन को समर्पित न किया जाना।

आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा ग्रामीण विषम भौगोलिक क्षेत्र की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन दिये जाने के लिए प्रथम चरण वर्ष 2008 में राज्य के जनपद चम्पावत के विकास खण्ड चम्पावत को चिन्हित किया गया। बी॰पी॰एल॰/ अंत्योदय परिवार की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरण हेतु धनराशि रूपये 253.00 लाख आवंटित की गयी थी। उक्त योजना से आच्छादित लाभार्थियों को घरेलू गैस कनैक्सन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी॰ पी॰ एल॰/ अंत्योदय राशन कार्ड धारक ऐसे परिवारों को दिया जायेगा जिनके पास पूर्व में घरेलू गैस कनैक्सन सुविधा नहीं है।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत के अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त राशि को मार्च 2008 में कोषागार से आहरित कर भारतीय स्टेट बैंक, चम्पावत के खाता संख्या 4304055548 में रूपये 253.00 लाख जमा कर दिया गया। उक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रूपये 2,50,70,377/- का व्यय वर्ष 2014 तक किया गया तथा शेष धनराशि 2,29,623/-बिना व्यय के लेखा परीक्षा अवधि (अक्टूबर 2018) तक अवरुद्ध थी। इस योजना को प्रारम्भ हुये 10 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी 96 लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया, जो विभागीय उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत धनराशि पर सितम्बर 2018 तक ब्याज की धनराशि रूपये 24,48,989/- अर्जित हुआ था जिसे लेखा शीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ में जमा नहीं किया गया था।

उक्त से स्पष्ट था कि योजना की राशि रूपये 2,29,623/- तथा ब्याज की राशि रूपये 24,48,989/- को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा गया था। जिससे उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र विकास कार्यों में नहीं किया जा सका।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि योजनागत 7355 परिवारों में से 7259 परिवारों को गैस कनैक्सन दिये गए तथा शेष 96 परिवारों को गैस कनैक्सन दिये जाने अवशेष हैं। गैस एजेंसियों के द्वारा लाभार्थियों को गैस कनैक्सन वितरण न करने के कारण लम्बित है तथा धनराशि रूपये 2.30 लाख के उपयोग किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। ब्याज की धनराशि रूपये 24.49 लाख को जमा किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभागीय उदासीनता के कारण 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी योजना के अन्तर्गत चयनित 96 परिवारों को गैस कनैक्सन नहीं दिये गए एवं सरकार द्वारा लागू योजना को पूरा नहीं किया

जा सका। इसके अतिरिक्त 2017-18 में जारी अन्य योजना की धनराशि का उपयोग किया जा चुका था। जबकि इस योजना की राशि रूपये 2.30 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा आम जनता को इस योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया। उक्त धनराशि पर ब्याज के रूप में अर्जित धनराशि रूपये 24.49 लाख को यथा समय शासन को लेखा शीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ में जमा नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि का अन्य किसी योजना में उपयोग नहीं किया जा सका।

अतः योजना को पूरा न किये जाने से योजना की धनराशि रूपये 2.30 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा ब्याज की धनराशि रूपये 24.49 लाख शासन को समर्पित नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- खाद्यान एवं भंडारों को गेहूं का कम वितरण 6374.52 कुंतल।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्यानों का वितरण राशन कार्डों तथा उनमें अंकित यूनिटों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके तहत भारत सरकार की दो योजनाये; अंत्योदय तथा प्राथमिक परिवार लागू की गयी हैं प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष यूनिटों के आधार पर दो किग्रा॰ गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह (यूनिटों की संख्या x 0.02 कुंतल x 12 माह) आवंटित किया जाना चाहिए था। राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थियों का चयन किया गया जिनकी वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख से कम हो तथा प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 किग्रा॰ गेहूं तथा 10 किग्रा चावल प्रति राशन कार्ड पर प्रति माह आवंटित किया जाना चाहिए था

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2016-17 में प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत छः आंतरिक गोदामों को मानकों से कम गेहूं आवंटित किया गया जिसका विवरण निम्न है-

क्र॰ सं.	**आंतरिक गोदाम का नाम**	**यूनिटों की संख्या**	**मानक के अनुसार गेहूं का आवंटन (यूनिट x 0.02 x 12 कुंतल)**	**वास्तविक आवंटित मात्रा (कुंतल में)**	**कमी/ अन्तर (कुंतल में)**
1	चम्पावत	29550	7092.00	6969.00	123.00
2	मंच	4170	1008.00	831.00	177.00
3	तामली	3290	789.60	610.20	178.80
4	लोहाघाट	38500	9240.00	9099.00	141.00
5	धूनाघट	35988	8637.12	7920.00	717.12
6	बाराकोट	7780	1867.20	1766.00	101.20
कुल योग		**119278**	**28633.92**	**27195.2**	**1438.12**

पुनः राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत 2016-17 में गेहूं के आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार थी

क्र॰ सं.	**आंतरिक गोदाम का नाम**	**राशन कार्डों की संख्या**	**मानक के अनुसार गेहूं का आवंटन (कार्ड संख्या x 0.05 x 12 कुंतल)**	**वास्तविक आवंटित मात्रा (कुंतल में)**	**कमी/ अन्तर (कुंतल में)**
1	चम्पावत	2765	1659.00	1053.00	606.00
2	तामली	291	174.60	92.80	81.80
3	लोहाघाट	8016	4809.60	2620.00	2189.60
4	धूनाघट	5180	3108.00	1370.40	1737.60
5	बाराकोट	1109	665.40	344.00	321.40
कुल योग		**17361**	**10416.6**	**5480.2**	**4936.4**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में छः आंतरिक गोदामों को **1438.12** कुंतल गेहूं कम आवंटित हुआ जिससे प्रति व्यक्ति/ यूनिट 0.24 कुंतल (0.002 कुंतल प्रति माह/ 0.24 कुंतल प्रति वर्ष) प्रति वर्ष की दर से लगभग 5992 व्यक्तियों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत पाँच आंतरिक गोदामों का गेहूं के लिए आवंटन मानकों से 4936.40 कुंतल कम था। जिससे 0.05 कुंतल प्रति माह/ 0.60 कुंतल प्रति वर्ष की दर से 8227 राशन कार्डों पर गेहूं का आवंटन कम किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत 2.0 किग्रा॰ के स्थान पर गेहूं 1.9 किग्रा॰ प्रति यूनिट आवंटित किया गया अतः कुल आवंटन कम किया। राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत कम आवंटन का कारण यह कहा गया कि राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में डुप्लिकेसी होने के कारण डुप्लीकेट राशन कार्डों को डिलीट किया गया तथा वास्तविक राशन कार्ड धारकों को ही खाद्यान वितरण हो सके इस हेतु आंतरिक गोदामों को कम गेहूं आवंटित किया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इस योजना में 2.0 किग्रा॰ गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह आवंटित किया जाना आवश्यक था। राज्य योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक कारणों से कम आवंटित हुआ।

अतः उपरोक्त योजनाओं में गेहूं के कम आवंटन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 03 : पेट्रोल पम्पों का अनाधिकृत रूप से कार्य करना तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन जांच न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाना।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग क परिसर के लिए उसकी क्षमता के अनुसार भूमिगत गैस टाईट टैंक जो निर्धारित विद्युत चालित/हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से जुड़े होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देशों एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि॰ के अपने मानकों के अनुसार करना होगा। पेट्रोलियम नियम 1976 नियम 149 (7) (ii) के अनुसार पेट्रोल पम्पों को लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने से 30 दिन पूर्व आवेदन किया जायेगा एवं उसके पश्चात लाइसेन्स की दोगुना फीस वसूल की जाएगी। नियम (8) के अनुसार यदि लाइसेन्स समाप्ति की तारीख के तीस दिन बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया जाता है तो कोई लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत में पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में 11 पेट्रोल पम्प संचालित थे, 11 पेट्रोल पम्पों में 10 पम्पों के लाइसेन्स की अवधि 2015-16 में समाप्त हो चुकी थी, उनका लाइसेन्स नवीनीकृत सम्प्रेक्षा अवधि तक नहीं किया गया था। पेट्रोल पम्पों के द्वारा लाइसेन्स की अवधि बढ़ाए जाने से संबन्धित आवेदन कार्यालय के अभिलेखों में नहीं पाया गया। जिससे सभी 10 पेट्रोल पम्प अप्रैल 2015 एवं 2016 से बिना लाइसेन्स के अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जांच नहीं की जा रही थी। पेट्रोल पम्पों के द्वारा भूमिगत गैस टाईट टैंक से निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से निर्धारित नोजलों से अधिक नोजल लगाये जाने की जांच विभाग द्वारा नहीं की गयी। विभाग द्वारा जनपद के 11 पेट्रोल पम्पों में से 05 से प्रारूप XIV प्राप्त किया गया शेष 06 से फार्म प्राप्त ही नहीं किए गए जिससे यह पता चल सके कि शेष 06 पेट्रोल पम्पों में कितने नोजल की शासन से स्वीकृति प्राप्त हुयी थी, वर्तमान में उक्त पेट्रोल पम्पों की वास्तविक स्थिति अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो पायी। अनापत्ति प्रमाणपत्र की निर्धारित शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य प्रस्तावित प्लान के अनुसार ही किया गया था एवं कार्यस्थल पर वर्तमान में अनुमोदित प्लान में फेरबदल किया गया इसकी जांच भी नहीं की जा रही थी।

उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्प अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहे थे तथा प्रकरण की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स 2015-16 तक नवीनीकृत किए जा चुके हैं। सभी 10 पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है तथा लाइसेंसों के नवीनीकृत किए जाने हेतु आवेदन मंगाए जा रहे है । वर्तमान में पैट्रोल पम्पों के नोजलों की जांच नहीं की जा रही तथा कार्यस्थल पर अनुमोदित प्लान की जाँच नहीं की जा रही है उक्त की जांच भविष्य में की जाएगी। 06 पैट्रोल पम्पों से प्रोफ़ार्मा XIV मंगाए जा रहे है।

पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पेट्रोलियम नियम 1976 नियम 149 (7) (ii) के अनुसार पेट्रोल पम्पों को लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने से 30 दिन पूर्व आवेदन किया जाना था एवं 30 दिन पूर्व आवेदन न करने पर लाइसेन्स की दोगुना फीस वसूल की जानी थी। इसके अतिरिक्त नियम (8) के अनुसार यदि लाइसेन्स समाप्ति की तारीख के तीस दिन बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किया जाता है तो कोई लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। वर्ष 2015-16 के पश्चात पेट्रोल पम्प बिना लाइसेन्स के कार्य कर रहे हैं। विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में सभी 10 पेट्रोल पम्प अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहे थे तथा जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन जाँच न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा था।

अतः पेट्रोल पम्पों के अनाधिकृत रूप से कार्य करने तथा पेट्रोल पम्पों की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन जांच न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
36/2015-16	00	1,2,3	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
---- अनिस्तारित	प्रस्तरों की	अनुपालन	आख्या	अप्रस्तुत-----
36/2014-15	भाग-दो(ब) प्रस्तर-02		अद्यतन किए जाने के कारण प्रस्तर निरस्त किया जा सकता है।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
3. अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।
4. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री मोहन सिंह राणा	जिला पूर्ति अधिकारी	15/02/13 से 20/03/17
2	श्री इन्द्र देव नौटियाल	जिला पूर्ति अधिकारी	31/07/17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.